फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादी | | **प्रतिवादीगण**
दुर्जनसिंह | बनाम | आसुसिंह वगैरह

प्रकरण : राजस्व वाद पत्र

मुकदमा नं. 251/2014

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिश्यिल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
04.02.2021	वकुलाय उपस्थित। वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि वकील वादी द्वारा वादी आसुराम के दिनांक 31.08.2019 को फौत होने के उपरान्त भी कायम मुकाम हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर दिनांक 30.07.2020 को प्रार्थना पत्र उक्त वाद खारिज किये जाने के संबंध में पेश किया था जिसका जवाब वकील वादी ने पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी पेश नहीं किया है। अतः वादी का खारिज योग्य होने से खारिज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे पाया कि वकील वादी प्रतिवादी संख्या 4 की तलबी पत्रावली में 6 वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी करवाने में असफल रहे है। साथ ही वादी आसूराम के दिनांक 31.08.2019 को फौत (अर्थात 1 वर्ष 4 माह की अवधि व्यतीत) हो जाने पर भी उसके कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र भी बावजूद प्रतिवादी वकील के आपत्ति प्रार्थना दिनांक 30.07.2020 के पेश नहीं किया गया। चूंकि वाद को चलाने की जिम्मेवारी वकील वादी की होती है तथा वादी के फौत होने के उपरान्त 1 वर्ष 4 माह की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं की जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि वकील वादी उक्त वाद को चलाने के इच्छुक नहीं है। अतः वकील वादी का वाद न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर आदेश 09 नियम 5 सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत अदम तकमील में खारिज की जाती है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner